आपके नियोक्ता ये नहीं कर सकते हैं:

- कानूनन निर्धारित आयकर जैसी कटौतियों को छोड़कर, आपके वेतन से कटौतियां (पैसे काटना) नहीं कर सकते हैं।
- आपको नौकरी देने के एवज में पैसों की मांग नहीं कर सकते।
- आपका पासपोर्ट रखने की मांग नहीं कर सकते।
- यदि व्यवसाय में 19 या कम कर्मचारी हैं, तो निम्न सभी शर्तें पूरी न होने तक, नई नौकरी शुरू की शुरूआत में आपको 90 दिनों की परीक्षण अवधि पर नहीं रख सकते।
  - › आप इसके लिए पूर्व सहमत हों
  - › यह आपके रोजगार अनुबंध में लिखा हो
  - › समझौते में नोटिस की अवधि शामिल हो
  - › आपके काम शुरू करने से पहले आप दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किया हो।

आपको और आपके नियोक्ता को परस्पर सद्भावपूर्ण व्यवहार करते हुए, एक दूसरे के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें एक दूसरे के प्रति खुले विचारों वाला होना, ईमानदार होना और उत्तरदायी होना शामिल है।

नि:शुल्क सहायता और जानकारी

हम यहां आपकी मदद करने के लिए हैं। हमारी सभी सेवाएं नि:शुल्क हैं।

रोज़गार संबंधी जानकारी के लिए **www.employment.govt.nz** देखें।

अनुवाद की गई जानकारी देखने के लिए **www.employment.govt.nz/minimum-rights-translations** देखें।

फोन: **0800 20 90 20** टोल फ्री। हम 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद सेवा प्रदान करते हैं।

आप अपना नाम दिए बिना या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।

केवल कुछ प्रमुख न्यूनतम रोजगार अधिकारों की एक सरल रूपरेखा यहां दी गई है। यह कानूनी सलाह नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट को देखना होगा: **www.employment.govt.nz**

24 July 2021

ENZ 4608

HINDI

EMPLOYMENT NEW ZEALAND

रोजगार से जुड़े अपने अधिकारों को जानें

MINISTRY OF BUSINESS, INNOVATION & EMPLOYMENT
HĪKINA WHAKATUTUKI

New Zealand Government

कर्मचारी के न्यूनतम अधिकार

न्यू ज़ीलैंड के कानून के हिसाब से सभी कर्मचारियों को रोजगार के न्यूनतम अधिकार हैं जिन्हें उनसे छीना नहीं जा सकता है।

अपने अधिकारों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है!

आपको:

- एक लिखित रोजगार अनुबंध (समझौता) प्राप्त करने का अधिकार है।
- किसी भी तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह या सहायता लेने का अधिकार है।
- अपने अनुबंध को अद्यतित रखने और प्रति मांगने का अधिकार है।
- कम से कम न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं, यदि आपकी आयु 16 वर्ष या अधिक है।
- आराम करना और भोजन अवकाश, उदाहरण के लिए, 8 घंटे के काम के दौरान, आपको ये दोनो प्राप्त करने का अधिकार है:
  - › आराम के लिए 10-मिनट के दो ब्रेक, जिसका भुगतान किया जाएगा
  - › 30-मिनट का एक भोजन का ब्रेक, जिसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
- पूर्ण वेतन पर 11 सार्वजनिक अवकाश लें, यदि ये आपके सामान्य कार्य वाले दिन हैं।
- यदि आप सार्वजनिक अवकाश के दिन काम करते हैं, तो आपको सामान्य वेतन दर से डेढ़ गुना वेतन का भुगतान किया जाएगा और इसके साथ ही आपको दूसरे दिन छुट्टी दी जाएगी, चाहे वह एक सामान्य कार्य दिवस ही क्यों न हो।
- 6 महीने तक नौकरी करने या 'काम करने के घंटे' का लक्ष्य पूरा करने पर इन परिस्थितियों में वैतनिक अवकाश प्राप्त कर सकते हैं:
  - › बीमारी की स्थिति में साल में10 दिन का वैतनिक अवकाश
  - › अपने जीवनसाथी या साथी, माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन, दादा-दादी, पोता/पोती या अपने पति या पत्नी या साथी के माता-पिता की मृत्यु पर 3 दिन का वैतनिक शोक अवकाश
  - › उपरोक्त दिए व्यक्तियों से अलग किसी कि मृत्यु पर एक दिन का वैतनिक शोक अवकाश दिया जाता है, यदि आपका नियोक्ता यह स्वीकार करता है कि आप कुछ निर्धारित कारणों से शोक के दौर से गुजर रहे हैं।
  - › घरेलू हिंसा की स्थिति में वर्ष में 10 दिनों का वैतनिक अवकाश।
- 12 महीने तक नौकरी करने के बाद, प्रत्येक वर्ष 4 सप्ताह का वैतनिक वार्षिक अवकाश प्राप्त करें।
- यदि आप काम करने के 6 महीने या 12 महीने वाले नियम को पूरा करते हैं, तो नए जन्मे बच्चे की देखभाल के लिए 12 महीने तक पैतृक अवकाश प्राप्त होता है और पैतृक अवकाश के लिए भुगतान भी प्राप्त करें।
- घरेलू हिंसा के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए 2 महीने तक की अल्पकालिक लचीली कामकाजी व्यवस्था किसी भी समय ले सकते हैं।
- अपने काम की अवधि, अवकाश और छुट्टियों की पात्रता का विवरण अपने नियोक्ता से लें।

- यदि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए या आवश्यक न समझा जाए, तो आपके साथ उचित व्यावहार और उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- अपनी उम्र, जातीयता, लिंग, विकलांगता या धार्मिक विश्वासों की वजह से होने वाले गैरकानूनी भेदभाव से सुरक्षित रहें।
- प्रतिकूल तरीके से व्यवहार (बुरी तरह से या गलत तरीके से व्यवहार किया जाना) से सुरक्षित रहें क्योंकि आप घरेलू हिंसा से प्रभावित हो सकते हैं।
- उचित प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और उपकरणों की मौजूदगी में सुरक्षित कार्यस्थल में काम करें।